छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा नवम् सत्र अंक-11

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मार्च, 2012

(चैत्र-3, शक संवत 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 11 (कुल 11) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 23 तारांकित एवं 31 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार -

(1) छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004, एवं

(2) सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-2011,

पटल पर रखा।

4. महामहिम राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्र.9 सन् 2006) महामहिम राज्यपाल महोदय ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है।

माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सचिव, विधान सभा ने विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 91 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्र.9 सन् 2006) विधान सभा द्वारा यथापारित रूप में तथा महामहिम राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाये गए रूप में पटल पर रखा ।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, श्री रविन्द्र चौबे (अनुपस्थित) सदस्य ने माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर द्वारा परीक्षा केन्द्रों का विसंगतिपूर्ण निर्धारण किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य ने औद्योगिक क्षेत्र उरला-सिलतरा में स्थापित उद्योगों से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

(1) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य ने विधानसभा क्षेत्र मस्तूरी अंतर्गत ऋण पुस्तिका उपलब्ध न होने,

(2) श्री भोलाराम साहू, सदस्य ने राजनांदगांव जिला अंतर्गत 06 विकासखंडों में बाल श्रमिक शालाओं का संचालन नहीं किये जाने, एवं

(3) श्री भजन सिंह निरंकारी, सदस्य ने जुनवानी चौक से धमधा रोड़ को जोड़ने वाली सड़क जर्जर अवस्था में होने एवं रोड़ पर विद्युत व्यवस्था न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी ।

7. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री हृदयराम राठिया, सदस्य ने लैलूंगा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम भेड़ीमुड़ा से तारागढ़ मार्ग में भरारी नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम कुर्रा में मिनी स्टेडियम निर्माण करने,

(2) श्री रामदेव राम, सदस्य ने लुण्ड्रा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम जमगंवा के लोटमा नाला एवं बरनई नदी पर पुलिया निर्माण करने,

(ii) ग्राम दरिमा के झुमरपारा में सिलयारी नाले पर तटबंध निर्माण करने,

(iii) धौरपुर में कन्या हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(iv) डूमरडीह में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने,

(3) श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, सदस्य ने कांकेर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) कांकेर में इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रारंभ करने,

(ii) कांकेर से नरहरपुर सड़क चौड़ीकरण करने, एवं

(4) श्री ब्रम्हानंद, सदस्य ने भानुप्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत-

(i) ग्राम दमकसा से बड़भूम पहुंच मार्ग निर्माण करने,

(ii) विकासखंड दुर्गकोन्दल में महाविद्यालाय प्रारंभ करने

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

8. व्यवस्था

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने नारायणा अस्पताल में एक श्रमिक को अस्पताल प्रबंधन द्वारा बिल भुगतान किये बिना अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं करने एवं इस संबंध में कृषि एवं श्रम मंत्री से निश्चित वक्तव्य की मांग की। इस दौरान कृषि मंत्री श्री चन्द्रशेखर साहू व श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य के मध्य वाद-विवाद हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - सामान्यत: मंत्री के जवाब के दौरान माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी भावना व्यक्त करते हैं। यही परंपरा है। अपनी बात कहने का सदस्य को अधिकार है और जवाब देने का मंत्री को अधिकार है। मंत्री विभाग के बजट पर हुई चर्चा का उत्तर दे रहे हैं, यह प्रश्नकाल नहीं है। आप सभी सदस्य एवं मंत्री सम्मानीय सदस्य हैं। संसदीय मर्यादा का पालन करते हुए शालीनता के साथ बात रखी जानी चाहिए।

वाद-विवाद जारी।

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं अभी इस सम्पूर्ण कार्यवाही को सुरक्षित रखता हूं। जब तक आसंदी से निर्देश नहीं आये तब तक इस कार्यवाही को प्रकाशित किया जाना निषिद्ध है। माननीय अध्यक्ष ने विलोपन संबंधी व अन्य निर्णय पश्चात् देने का कथन किया।

9. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या 23, आयाकट विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 40, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या 45, जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 57, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या 75, उच्च शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44, विज्ञान एवं टेक्नालॉजी से संबंधित मांग संख्या 46, तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग से संबंधित मांग संख्या 47 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-23 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, मोहम्मद अकबर, अग्नि चंद्राकर, ह्दयराम राठिया, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री शिवराज सिंह उसारे, दूजराम बौद्ध **मांग संख्या-45 पर** श्री रविन्द्र चौबे **मांग संख्या-44 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, धर्मजीत सिंह, अग्नि चंद्राकर, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, श्रीमती अंबिका मरकाम **मांग संख्या-47 पर** श्री रविन्द्र चौबे, श्रीमती अंबिका मरकाम एवं श्री दूजराम बौद्ध, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री टी.एस.सिंहदेव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री विरेन्द्र कुमार साहू,

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

(श्री चैतराम साहू-अनुपस्थित), सर्वश्री लखमा कवासी, संतोष बाफना, शिवराज सिंह उसारे, (डॉ.) कृष्णमूर्ति बांधी, देवेन्द्र बहादुर सिंह,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, (महंत रामसुंदर दास-अनुपस्थित), श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

(श्री ब्रम्हानंद-अनुपस्थित), श्रीमती सुमीत्रा मारकोले, (श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री ह्दयराम राठिया-अनुपस्थित),

10. अध्यक्षीय व्यवस्था

तनाव अथवा मत वैभिन्नता के समय संयमित रहने में ही सदन एवं समस्त सदस्यों की गरिमा सन्निहित है ।

सदन को स्मरण होगा कि सभा में कृषि मंत्री जी की बजट मांगों पर उनके उत्तर के दौरान माननीय कृषि मंत्री जी एवं माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह के मध्य अवांछित शब्दावली का प्रयोग हुआ था और मैंने सम्पूर्ण कार्यवाही को सुरक्षित रखकर पश्चात् व्यवस्था देने का कहा था । मेरी व्यवस्था निम्नानुसार है -

बजट पर चर्चा के लिए पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों को आसंदी के द्वारा पर्याप्त अवसर दिया जाता है । माननीय सदस्य अपनी बातें सभा में रखते हैं । माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों, सुझावों पर माननीय मंत्री अपने भाषण में उनका जवाब देकर सभा को संतुष्ट करने का प्रयास भी करते हैं लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बात का स्पष्टीकरण या जवाब मंत्रिगण दें । माननीय मंत्री जी के उत्तर के समय, माननीय सदस्यों द्वारा उनका भाषण पूर्ण होने तक बीच-बीच में टोकाटाकी अथवा प्रश्न करके उनका उत्तर देने हेतु बाध्य करना उचित संसदीय प्रक्रिया नहीं है । माननीय सदस्यों की भावना, उनकी वरिष्ठता आदि को विचार में लेकर मंत्रिगणों के उत्तर के बीच में अपनी बातें रखने का अवसर देता हूं । लेकिन यह माननीय सदस्यों के विचार का प्रश्न है कि वे मेरी अनुमति के पश्चात् किस सीमा तक अपनी बातें रखें । माननीय मंत्री जी को उत्तर के लिए बाध्य किया जाना तो मैं कदापि उचित नहीं समझता ।

इस सदन की उत्कृष्ट परम्पराएं रही हैं और पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों में मत वैभिन्नता होते हुए भी सौहार्दता एवं शालीनता को मैं इस सदन की धरोहर मानता हूं जिसे संरक्षित रखे जाने की जिम्मेदारी हम सबकी है । आज की कार्यवाही का मैंने अवलोकन किया है । मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि क्यों और कैसे तथा किन परिस्थितियों में अचानक अवांछित शब्दावली का प्रयोग आरंभ हो गया। यदि माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह ने किसी विषय की ओर ध्यान दिलाकर माननीय मंत्री जी से उसके निश्चित उत्तर की अपेक्षा की भी थी, जो कि नहीं किया जाना चाहिए, तब भी माननीय मंत्री जी जो काफी वरिष्ठ हैं तथा जिनसे इस सदन को अधिक अपेक्षा है, से संयम अपेक्षित था ।

माननीय सदस्य श्री धर्मजीत सिंह की भूमिका तो उनके हास परिहास से इस सदन के बोझिल होते हुए क्षणों अथवा तनावपूर्ण वातावरण को हल्का-फुल्का बनाने में हमेशा महत्वपूर्ण होती है । उनसे भी यह सदन ऐसी बातों की अपेक्षा नहीं करता जो आज हुई । माननीय मंत्री जी ने तत्समय यह व्यक्त किया था कि **श्री धर्मजीत सिंह जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। बहुत अच्छे पार्लियामेंटन हैं, उनके गुस्से में भी पार्लियामेंटन का जज्बा छिपा रहता है और मेरी बात से उनको कोई बहुत उत्तेजना आई होगी और मेरी बात को कहीं वह अदरवाइज लिए होंगे तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं ।** माननीय मंत्री जी ने खेद व्यक्त कर इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है । माननीय सदस्य से भी ऐसी ही अपेक्षा है ।

मैंने कार्यवाही का अवलोकन किया तथा मैंने सभा की गरिमा के विपरीत कहे गए सभी असंसदीय कथनों, अंशों को विलोपित कर दिया है । विलोपित कथन, अंश सभा की कार्यवाही का हिस्सा नहीं है, तदनुसार उनका प्रकाशन निषिद्ध है । मैं समस्त सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि तनाव के अथवा मत वैभिन्नता के समय भी स्वयं को संयमित रखकर इस सदन की गरिमा को बनाए रखकर, स्वयं अपनी गरिमा में वृद्धि करें, क्योंकि इस पवित्र सदन की गरिमा में ही समस्त सदस्यों की गरिमा सन्निहित है । इस सम्पूर्ण घटनाक्रम का मैं पटाक्षेप करता हूं ।

11. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

सर्वश्री राजू सिंह ठाकुर, (बैदूराम कश्यप-अनुपस्थित), सेवकराम नेताम, दूजराम बौद्ध, धर्मजीत सिंह, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, डॉ.हरिदास भारद्वाज, श्री देवजी पटेल,

12. पृच्छा

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने घटना पर अपने व्यवहार के लिए अफसोस, दुखः जाहिर करते हुए आसंदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री एवं माननीय सदस्य का, घटना का पटाक्षेप किये जाने हेतु आभार व्यक्त किया।

13. वर्ष 2012-2013 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पद क्रमांक (7) का कार्य पूर्ण होने अथवा अधिकतम ढाई घंटे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. अशासकीय संकल्प

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि " रायपुर से जगदलपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 को फोरलेन किया जाय।"

श्री संतोष बाफना, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

डॉ.हरिदास भारद्वाज एवं श्री देवजी पटेल, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री हेमचंद यादव, पंचायत मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

सायं 6.52 बजे विधान सभा की कार्यवाही शनिवार, दिनाँक 24 मार्च, 2012 (चैत्र 4, शक संवत् 1934) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा